

आर.ई.ओ-217

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता ( आर.ई. )

क्र.जे.पी.डी/उपमु.अ.(आर.ई.)/अ.अ (आर.ई.)/प.1201/प्रे 428 दिनांक 27/7/2010


आदेश

विषय: फ्लैट रेट उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा हुआ पाये जाने पर वास्तविक लोड के आधार पर ही बिलिंग के क्रम में।

प्रायः यह देखा गया है कि फ्लैट रेट उपभोक्ता की सतर्कता जांच के दौरान अगर उपभोक्ता का भार स्वीकृत भार से 1.2 गुना तक बढ़ा हुआ पाया जाता है तो भी उसकी बिलिंग कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.3.2007 तक) के बिन्दु संख्या 23 के अन्तर्गत स्वीकृत भार के अनुसार ही की जाती है।

इस संबंध में समन्वय सभिति की 138वीं बैठक में चर्चा की गई। उक्त मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि 20 प्रतिशत तक बढ़े हुये भार पर कोई पैनल्टी वसूल नहीं की जाये परन्तु उपभोक्ता को बिल कृषि विद्युत सम्बन्ध पर पाये गये वास्तविक भार के अनुरूप ही जारी किया जाये।

यह स्पष्टीकरण तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

  
(ए.के. शर्मा) 27/7/2010  
उप मुख्य अभियन्ता (आर.ई.)

b